FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं S.D.O. मुकाम बायतु

उमेदाराम वगैरा बनाम दाखूराम वगैरा

किस्म मुकदमा रा० वाद 88,188,209 RTAct नं 34/2022 सन् 2022

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15/02/2022	प्रार्थी/~~वादी~~/अपीलांट के वकील श्री गणेश कुमार गोदारा ने यह प्रार्थना पत्र/~~वाद~~/अपील धारा 88,188,209 RTAct राजस्थान ~~काश्तकारी~~/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/~~प्रतिवादी~~/~~रेस्पोडेंट~~ जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 21/02/2022 को पेश हो।	
21/02/2022	वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी संख्या-1 व 2 स्वयं उपस्थित होकर इकबाली जवाबदावा पेश किया गया व वादीगणों की ओर से प्रस्तुत वाद को स्वीकार किया गया, वादी वकील द्वारा वादी साक्ष्य के रूप में वादी संख्या-1 स्वयं PW-1- उमेदाराम पुत्र दाखूराम जाति जाट निवासी- चुतरागियों की ढाणी माडपुरा बरवाला तहसील- बायतु जिला-बाड़मेर PW-2- राजूराम पुत्र श्री ....राम जाति जाट निवासी- चुतरागियों की ढाणी, माडपुरा बरवाला तहसील- बायतु के शपथ-पत्र मय दस्तावेजों की सूचि- प्रथम ...... संलग्न	उमेदाराम (नरेन्द्र कुमार) दाखूराम मालू राजूराम

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	2012 - 2031 मौजा- माडपुरा बरवाला खाता संख्या- 115, 116 व प्रमाणित प्रतिलिपि नक्शा संख्या- 282 दिनांक- 02/09/1982 मौजा- माडपुरा बरवाला पेश किये गये। तथा प्रतिवादी साक्ष्य के रूप में DW-1- दासूराम पुत्र अनाराम जाति- जाट निवासी- चुतराणियों की ढाणी, माडपुरा बरवाला तहसील- जायल का शपथ-पत्र पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वादी वकील की एकपक्षीय बहस सुनी गई पत्रावली व पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया गया, बाद अवलोकन वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। डिग्री पर्चा जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO)

.य सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु

(पीठासीन अधिकारी श्री जगदीश सिंह आशिया R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या–34 / 2022

वादीगण

1. उमेदाराम पुत्र दासूराम
2. नरेन्द्र कुमार पुत्र दासूराम

जाति–जाट,
निवासी–चुतराणियों की ढाणी,
माडपुरा बरवाला,
तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. दासूराम पुत्र कानाराम
2. मालूदेवी पुत्री दासूराम

जाति–जाट,
निवासी–चुतराणियों की ढाणी,
माडपुरा बरवाला, तहसील–बायतु,
जिला–बाड़मेर

3. तहसीलदार, बायतु

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955.

उपस्थित :–

1. वादीगण
2. प्रतिवादी संख्या 1 व 2

–: निर्णय :– **दिनांक** : 21/02/2022

संक्षेप में वाद कथन इस प्रकार हैं कि वादीगण ने यह राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विरूद्ध प्रतिवादी प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 2 की पैतृक व संयुक्त कब्जाशुदा खातेदारी की भूमि मौजा चुतराणियों की ढाणी पटवार मण्डल माडपुरा बरवाला तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 420, 421, 564 / 422 रकबा क्रमशः 0.1618, 0.1942, 4.5061 हैक्टेयर में आई हुई है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 एक ही पूर्वज के वंशज है। वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से वादीगण के दादा व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता के कब्जे काश्त की थी तथा सेटलमेन्ट के समय वादीगण के दादा के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ व सेटलमेंट से लेकर आज दिन तक वादग्रस्त भूमि पर वादीगण के दादा व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता तथा बाद में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त रहा है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि वादीगण की पैतृक भूमि है और वादीगण अपने पैतृक भूमि में हिन्दू उतराधिकारी है और हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत वादीगण का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा है तथा वादीगण अपने हिस्से अनुसार भूमि का बाहामी बंटवाड़ा कर काबिज है। क्योंकि हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार हिन्दू पुरूश के पुत्र, पौत्र एवं प्रपौत्र का विधि अनुसार जन्म से ही सहदायिकी अर्थात पैतृक सम्पति में अधिकार प्राप्त हो जाता है। अतः वादग्रस्त भूमि में वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से के साथ सहखातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है एवं जिस हेतु घोषणा का वाद इस न्यायालय में पेश किया गया है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगणों को सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उपस्थित होकर, इकबाली जवाब लिखित में पेश कर, वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के समस्त पदों को स्वीकार करते हुए वादग्रस्त भूमि में वादीगण को सहखातेदार घोषित

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

पूर्ण सहमति प्रदान की है। वादीगण द्वारा साक्ष्य के रूप में स्वयं उम्मेदाराम पुत्र दासूराम पथ पत्र PW 1 व स्वतंत्र गवाह के रूप में PW 2 राजूराम पुत्र कानाराम जाति जाट निवासी णियों की ढाणी, माडपुरा बरवाला तहसील बायतु के शपथ पत्र पेश किये गये। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा साक्ष्य के रूप में स्वयं का शपथ पत्र DW 1 पेश किये गये। प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से इकबाली जवाबदावा पेश कर अपने हिस्से की भूमि को वादीगण के पक्ष में घोषित करने की सहमति प्रदान की गई।

न्यायालय द्वारा पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया तथा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 को सुना गया। चूंकि वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से वादीगण के दादा व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता के कब्जे काश्त की थी एवं सेटलमेन्ट के समय वादीगण के दादा व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ था तथा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 कानाराम के विधिक वारिसान् है तथा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 2 का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा बनता है व वादग्रस्त समस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से के साथ वादीगण सहखातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है।

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया वाद–पत्र व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का इकबाली जवाबदावा स्वीकार कर, अन्तिम डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा चुतराणियों की ढाणी पटवार मण्डल माडपुरा बरवाला तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 420, 421, 564/422 रकबा क्रमशः 0.1618, 0.1942, 4.5061 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से के साथ, वादीगण को सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से अपना हक हिस्सा त्याग करने से उनका हिस्सा शेष नहीं है। वादग्रस्त भूमि यदि बैंक में रहन है तो पूर्व की भांति संबंधित बैंक में रहन रहेगी। निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा पक्षकारान् अपना–अपना वहन करें।

(जगदीश सिंह आशिया)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

निर्णय आज दिनांक 21/02/2022 को न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु

पीठासीन अधिकारी श्री जगदीश सिंह आशिया R.A.S.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. उमेदाराम पुत्र दासूराम 2. नरेन्द्र कुमार पुत्र दासूराम जाति–जाट, निवासी–चुतराणियों की ढाणी, माडपुरा बरवाला, तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर		1. दासूराम पुत्र कानाराम 2. मालूदेवी पुत्री दासूराम जाति–जाट, निवासी–चुतराणियों की ढाणी, माडपुरा बरवाला, तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर 3. तहसीलदार, बायतु

दावा बाबत 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

राजस्व वाद संख्या–34 / 2022. **निर्णय दिनांक :–** 21/02/2022

वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 2 की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 21/02/2022 को न्यायाल में (नाम पीठासीन अधिकारी) जगदीश सिंह आशिया, सहायक कलक्टर व उपखण्ड अधिकारी बायतु के समक्ष अन्तिम निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :–

वादीगण का वाद पत्र व प्रतिवादी संख्या 1 से 2 का इकबाली जवाबदावा स्वीकार किया जाकर मौजा चुतराणियों की ढाणी पटवार मण्डल माडपुरा बरवाला तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 420, 421, 564 / 422 रकबा क्रमशः 0.1618, 0.1942, 4.5061 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से के साथ, वादीगण को सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादग्रस्त भूमि यदि बैंक में रहन है तो पूर्व की भांति संबंधित बैंक में रहन रहेगी।

खर्चा वाद पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 21/02/2022 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

(जगदीश सिंह आशिया)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	